P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-1* September- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

गांधी की पत्रकारिता एवं मानवाधिकार

Gandhi's Journalism and Human Rights

Paper Submission: 15/09/2020, Date of Acceptance: 26/09/2020, Date of Publication: 27/09/2020

अमित राय
शोध छात्र,
स्कूल ऑफ लॉ एण्ड कांस्टीट्यूशन स्टडीज, शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजिनीयरिंग एण्ड टेक्नॉलॉजी ए डीम्ड यूनिवर्सिटी मोदीपुरम, मेरठ
भारत

सारांश

प्रस्तुत अध्ययन में यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार महात्मा गांधी जी की पत्रकारिता एवं उनके लेखन ने सदैव सामाजिक बुराईयों पर प्रहार किया और उन्हें दूर करने के लिए मार्ग भी प्रशस्त किया। उन्होंने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से मानवाधिकार एवं समाज सुधार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। लेखों, सम्पादकीय टिप्पणियों और समाचारों के प्रकाशन के द्वारा उन्होंने समाज में व्याप्त विभिन्न तरह की बुराईयों के विरूद्ध सतत् संघर्ष चलाया। उन्होंने अपनी पत्रकारिता के द्वारा सभी शोषित वर्गों को अपने अधिकारों को दिलाने का प्रयास किया।

In the study presented, an attempt has been made to show how Mahatma Gandhi's journalism and writings have always attacked social evils and paved the way for removing them. He did important work for human rights and social reform through his journalism. Through the publication of articles, editorial comments and news, he waged an ongoing struggle against various evils prevailing in the society. Through his journalism, he tried to give rights to all the exploited classes.

मुख्य शब्द : मानवाधिकार, पत्रकारिता, समाज, समाज सुधार, शोषित वर्ग, अधिकार।

Human Rights, Journalism, Society, Social Reform, Exploited Classes, Rights.

प्रस्तावना

मोहनदास करमचंद गांधी, जो कालान्तर में बापू और महात्मा जैसे विशेषणों से सम्बोधित किए गये, मूलतः एक प्रशिक्षित बैरिस्टर थे अतः अंग्रेजी न्याय प्रणाली, न्यायिक सिद्धान्तों तथा उदारवादी पाश्चात्य दर्शन से भली भांति परिचित थे। अभी उन्होंने नई–नई वकालत शुरू की थी कि मात्र 24 वर्ष की आयु में उन्हें दादा अब्दुल्ला नामक गुजराती व्यापारी से दक्षिण अफ्रीका आने का निमंत्रण प्राप्त हुआ। दादा अब्दुल्ला एक प्रवासी गुजराती व्यवसायी था और उसने गांधीजी को अपनी कानूनी उलझनों और समस्याओं से निपटने हेतु एक वर्ष का अनुबंध किया था। उस समय दक्षिण अफ्रीका एक औपनिवेशिक देश था जहां अंग्रेज गन्ने के बागान में काम करने के लिए भारत से बंधुआ मजदूर ले गए थे क्योंकि भारतीय खेतिहर मजदूर कृषि कार्यों में परिश्रमी एवं निपुण थे। इन मजदूरों के साथ कुछ भारतीय मेमन मुस्लिम भी व्यापारियों के तौर पर आकर बस गए थे, और इन प्रवासी भारतीयों की दूसरी व तीसरी पीढ़ी वहीं दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुई थी। अंग्रेज मालिक इन प्रवासी भारतीयों के साथ घनघोर भेदभाव व अत्याचार करते थे। अधिकांश भारतीय प्रवासी जनता प्रजातीय भेदभाव के कारण अशिक्षित व निर्धन थी अतः वे अपने कानून सम्मत अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठा सकते थे। इन प्रवासी व्यापारियों को भी काम चलाऊ, बोल–चाल की टूटी फूटी अंग्रेजी का ज्ञान था। इसीलिए दादा अब्दुल्ला ने गांधीजी को दक्षिण अफ्रीका बुलाया था ताकि वे इनकी कानूनी सहायता कर सकें।

गांधीजी के दक्षिण अफ्रीका पहुंचते ही नस्लीय भेदभाव के कारण अनेक बार अपमान झेलना पड़ा। प्रथम श्रेणी का टिकट खरीदने के बावजूद एक गोरे अंग्रेज ने उन्हें धक्के मारकर ट्रेन से पीटरमारित्जबर्ग स्टेशन पर उतार दिया जहां गांधीजी को प्रतीक्षालय में ठिठुरते हुए रात बितानी पड़ी। इसी प्रकार एक बार प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद उन्हें गाड़ी के पायदान पर बैठकर यात्रा करनी पड़ी तथा उन्हें प्रतिरोध करने पर मारा पीटा भी गया। अंग्रेजी कानून में प्रशिक्षित होने के कारण ये सब बहुत गैरकानूनी व अमानवीय लगा।

मानवाधिकारों के घनघोर हनन व औपनिवेशिक शासन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ गांधी ने प्रवासी भारतीयों को संगठित करने का प्रयास प्रारंभ किया। उन्होंने सर्वप्रथम भारतीयों की एक सभा बुलाई तथा इन मानवाधिकारों के दमन के विरूद्ध आवाज उठाने व संगठित प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही साथ इच्छुक प्रवासी भारतीयों को अंग्रेजी सिखाने की मुहिम शुरू की ताकि वे अपने न्याय सम्मत अधिकारों को समझ सकें और उसके लिए आवाज उठा सकें।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के द्वारा गांधी जी ने अपने द्वारा नियमित रूप से लिखे गए स्तम्भों व लेखों के माध्यम से अपने उद्देश्यों, विचारधारा तथा कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया। इस प्रमुख बिन्दू के अध्ययन के साथ–साथ अन्य कई प्रश्न जुड़े है, जैसे नियमित लेखन का क्रम क्या था कौन से विचार बिन्दु व मसले विषेष रूप से प्रतिपादित होते, महात्मा गांधी की भाषा व विवेचना शैली क्या थी? किस तरह के पाठक वर्ग को वे अपनी कलम का लक्ष्य बनाते। प्रस्तुत अध्ययन में संबंधित प्रष्नों के समुचित उत्तर हेतु महात्मा गांधी की पत्रकारिता का मानवाधिकार में योगदान उल्लेखित है।

प्रथम प्रयास

इसी क्रम में, गांधीजी ने स्थानीय समाचार पत्र नैटाल एडवरटाइजर में एक पत्र लिखाः ''क्या यह एक ईसाई जैसा व्यवहार है? क्या यह सही है, न्यायोचित है, क्या ये सभ्यता है? मैं उत्तर की प्रतीक्षा में हूं''।

उस समय नैटाल की विधायी संस्था द्वारा एक बिल पास करने की तैयारी चल रही थी और इस बिल के द्वारा भारतीयों को मताधिकार से वंचित करने का आदेश पारित किया जाना था। इस बिल के विरूद्ध गांधीजी ने आवाज उठाई। क्योंकि गांधीजी का दक्षिण अफ्रीका में बसने का इरादा नहीं था अतः अपने एक वर्ष के अनुबंध पूर्ण होने पर गांधीजी दक्षिण अफ्रीका से जाना चाहते थे परन्तु दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों के आग्रह पर वे रूक गए और लगभग 21 वर्ष वहां रहने के उपरान्त जनवरी 1915 में भारत के लिए प्रस्थान किया।

यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम 10 दिसम्बर 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 48 देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया तथा जिन आठ देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया उनमें दक्षिण अफ्रीका प्रमुख था।

अतः इस संदर्भ में मानवाधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत जागरूकता बनने के 50 साल से अधिक पहले दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने मानवाधिकारों की रक्षा हेतु मशाल जला दी थी।

प्रथम समाचार पत्र की स्थापना

दमनकारी औपनिवेशिक शासन को मानवाधिकारों के हनन के विरूद्ध सार्वजनिक रूप से आवाज उठाने, प्रवासी भारतीयों में जागरूकता तथा एकजुटता संगठित करने हेतु गांधीजी ने 1903 में ''इंडियन ओपीनियन'' नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया। गांधीजी ने 4 जून 1903 को चार भाषाओं में ''इंडियन ओपीनियन'' प्रारम्भ किया था ताकि सभी भाषा के जानने वाले उसे पढ़ सकें। इसके सम्पादक मनसुख लाल व मदनजीत थे। बाद में इनका स्थान हरबर्ट किचेल, एस. एल. पोलक, जोसेफ डॉक ने ले लिया। इस पत्र में वे मूलतः औपनिवेशिक शासकों अन्यायपूर्ण नियमों, व्यवहार पर प्रवासी भारतीयों में विस्तृत जागरूकता फैलाते तथा ब्रिटिश सरकार, संसद व प्रशासन की न्याय संगत नियम, प्रक्रिया पर प्रश्न उठाते। गांधीजी विश्व इतिहास में शायद पहले जन आंदोलन को उद्वेलित, संगठित व नेतृत्व करने वाले करिश्माई नेता थे जिन्होंने मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु पत्रकारिता को एक कामयाब अस्त्र के रूप में प्रयुक्त किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी के प्रयासों के कारण दक्षिण अफ्रीकी शासकों को गांधीजी से समझौता करना पड़ा जिसके अन्तर्गत चुनाव कर, विवाह संबंधी कानूनों तथा रजिस्ट्रेशन संबंधी नियमों आदि में संशोधन हुआ।

सत्याग्रह का अभिनव प्रयोग उन्होंने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में किया। गांधीजी ने अपनी पत्रकारिता में हजारों पृष्ठ लिखे जो बाद में गांधीजी के Collected Works के रूप में प्रकाशित हुए जिससे उनकी सम्पूर्ण सोच, कर्मयात्रा, दर्शन, रणनीति एवं विश्वदर्शन झलकता है और आज शोध हेतु एक समृद्ध स्त्रोत है।

महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज को 1909 में प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने अपनी विचारधारा को स्पष्ट करते हुए भारतीय राष्ट्र की अवधारणा को सभ्यता के संदर्भ में प्रस्तुत किया। गांधी के अनुसार इस्लाम से भी पहले से भारतीय एक राष्ट्र अथवा प्रजा के रूप में संगठित थे। भारतीय राष्ट्रीयता की आधारशिला अथव मुख्य स्त्रोत इस बात में है कि वह किसी भी विदेशी मूल के प्रवासियों को भारत में बसने के उपरांत अपने में पूर्व रूप से सहज समाहित कर लेती है अतः यह राष्ट्रीय बिना संदेह के सर्वश्रेष्ठ है। गांधी की दृष्टि में स्वराज का अर्थ गृहराज (होम रूल) न हो कर स्वराज (सैल्फ रूल) था जिसमें प्रत्येक मनुष्य को अपनी अस्मिता, सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ जीवनयापन कर सके और इसके लिए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर आधारित ''सत्याग्रह'' सर्वोत्तम शस्त्र था जिसके द्वारा अंग्रेजों के अत्याचार और उत्पीड़न भरे शासन से मुक्ति मिल सकती थी और मानव अधिकार परिपूर्ण स्वराज प्राप्त हो सकता था।

गांधी ने मानवाधिकारों का भीषण हनन दक्षिण अफ्रीका में अनुभव किया था जिसके फलस्वरूप उन्होंने ''इंडियन ओपिनियन'' नामक समाचार पत्र को जनमानस को संगठित करने का सशक्त माध्यम बनाया। सन् 1915 में गांधी के भारत आगमन के पश्चात् उनके राजनैतिक गुरू लोकमान्य तिलक ने सम्पूर्ण भारत का भ्रमण तथा यहां की सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनैतिक स्थिति के अध्ययन की सलाह दी थी। जब महात्मा गांधी कांग्रेस के विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेने लखनऊ व कलकत्ता आदि नगरों में जा रहे थे तब ही बिहार के चंपारण क्षेत्र के राजकुमार शुक्ला ने इनसे मुलाकात करके चंपारण क्षेत्र के नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा पर विस्तृत विवरण दिया और गांधीजी को चम्पारण जिले आने का सविनय निमंत्रण दिया। उस समय तिनकठिया प्रथा के अंतर्गत चम्पारण के किसानों का

यूरोपियन भू सामंतों द्वारा बलपूर्वक शोषण हो रहा थ। इन भू सामंतों ने बेतिया के महाराजा से भूमि पर सामंतशाही का अधिकार ले लिया था तथा बलपूर्वक किसानों से उनकी भूमि पर नील की खेती करने का दबाव डालते थे और यह नील यूरोपियन बाजारों में निर्यात की जाती थी। गांधी ने सविनय अवज्ञा व सत्याग्रह के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका में मानवाधिकारों को पुनः स्थापित कर एक विलक्षण ख्याति प्राप्त की थी। अब भारत में आकर चम्पारण के किसानों के मानवाधिकारों हेतु उन्होंने अपने अनूठे शस्त्र सत्याग्रह को प्रथम बार छेड़ा तथा उनके आंदोलन की प्रथम प्रयोगशाला सिद्ध हुई। जिसमें गांधीजी ने विजय प्राप्त की। अंग्रेजों को गांधी के सत्याग्रह के आगे झुकना पड़ा जिसके फलस्वरूप चम्पारण कृषि अधिनियम नवम्बर 1918 को पारित हुआ और मानवाधिकार हनन करने वाली तिनकठिया प्रथा का अंत हुआ।

भीखू पारीख ने गांधी पर अपनी पुस्तक में लिखा है कि गांधी ने अन्याय से लड़ने के लिए सत्याग्रह का विकल्प चुना। गांधी के अनुसार, इस विकल्प के कारण विपक्षी के दिल और दिमाग में छुपी नैतिक शक्तियों को प्रेरणा मिलेगी जिससे कि परस्पर सहमति एवं सौहार्द से विभेद व संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान देख सकेगा। गांधी के अनुसार सत्याग्रह नागरिक चेतना व संकल्पशक्ति के द्वारा सत्य के मार्ग का अनुसरण है जिससे कि पूर्वाग्रहों, हठधर्मिता तथा विपक्षी के स्वार्थपरता, जिद तथा कट्टरता को भेदकर विपक्षी की आत्मा को झकझोरा जा सकता है।

सत्याग्रह एक ऐसा प्रतिरोध है जिसमें कोई दुर्भावना या हिंसा का भाव नहीं है। गांधी के लिए चम्पारण, खेड़ा के किसानों तथा अहमदाबाद के मिल मजदूरों के न्यायोचित अधिकारों हेतु किए गए सत्याग्रह 'लघु प्रयोग' थे। गांधी ने चम्पारण में मेरा आगमन और वहां के लोगों के लिए मेरा स्नेह तथा अहिंसा में मेरा अटूट विश्वास ही था और चम्पारण का वह दिन वहां के किसानों तथा मेरे लिए अविस्मरणीय ऐतिहासिक घटना है।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि गांधीजी की रूचि मात्र तिनकठिया प्रथा से मुक्ति में ही नहीं थी अपितु वहां की अशिक्षा, दरिद्रता, गंदगी से निवारण में भी थी। वहां की महिलाओं की प्रस्थिति से गांधीजी द्रवित हो गए और उन्होंने वहां 13 नवम्बर 2017 में बेतिया राज के एक गांव, बरहरवा लखनसेन में पहला स्कूल स्थापित किया, तत्पश्चात् पांच और विद्यालय खोले और गांव वालों के सामने यह शर्त रखी कि इन विद्यालयों के शिक्षकों के रहने व खाने का खर्च गांव वाले उठाएंगे। जो कि सामुदायिक स्वामित्व का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। गांधीजी ने गांवों की स्त्रियों की दुर्दशा देखकर अपनी पत्नी के नेतृत्व में एक महिला शाखा के द्वारा कार्य किया। गांवों में गंदगी साफ करना अत्यन्त दुष्कर था क्योंकि छुआछूत व जाति पांति के भेदभाव के कारण कोई भी सफाई के लिए तैयार नहीं था। यह गांधी का करिश्मा था कि उनके बनाए वातावरण में लोग स्वच्छता हेतु भी श्रमदान करने लगे।

अंग्रेजी साम्राज्य के पास सैन्य बल, शक्ति थी जिससे भारतीय कभी भी सशस्त्र क्रांति से विजय नहीं पा सकते थे। अतः गांधी ने नैतिकता आधारित सत्याग्रह एवं असहयोग का एक अनूठा मार्ग प्रयुक्त किया जो जनसाधारण की चेतना, इच्छाशक्ति व अहिंसा में अटूट विश्वास से भरा था। इस जन शक्ति के आहवान हेतु गांधी ने अपने संदेश को जन–जन तक पहुंचाने के लिए समाचार पत्रों का सहारा लिया क्योंकि रेडियो पर तो अंग्रेजी सरकार का आधिपत्य था। गांधी की पत्रकारिता में उनके नैतिक बल, सत्याग्रही सिद्धांत व अहिंसा की गूंज किसी अंग्रेजी तोप से भी अधिक गर्जना करती थी। गांधी के लिए पत्रकारिता एक मार्ग, उपकरण, माध्यम था, पेशा नहीं। गांधी ने पत्रकारिता को न केवल सत्याग्रह द्वारा स्वाधीनता संग्राम हेतु अपितु मानवाधिकारों, समाज सुधार, स्त्री शिक्षा, बुनियादी, तालीम, छुआछूत उन्मूलन हेतु भी किया।

गांधी की पत्रकारिता किस प्रकार मानवाधिकारों के लिए समर्पित थी इसका सबसे प्रमाण उनके द्वारा दिया गया शब्द हरिजन (अर्थात् ईश्वर के व्यक्ति) और उसी नाम से निकाला गया समाचार पत्र हरिजन है। इस पत्र को गांधी ने 11 फरवरी 1933 में हिन्दी व गुजराती में प्रकाशित करना प्रारंभ किया। इसका मूल्य एक आना था। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पत्र के प्रारम्भ के समय गांधी को अंग्रेजों ने जेल में बंद कर रखा था। यह मुख्य रूप से छुआछूत जैसी घनघोर मानवाधिकार विरोधी कुप्रथा से लड़ने के लिए शुरू किया ताकि इस कुप्रथा के विरूद्ध एक जन आंदोलन खड़ा किया जा सके, सवर्णों की आत्मा को झकझोरा जा सके तथा अस्पृश्य समुदाय में आत्म सम्मान व समानता के अधिकार के प्रति चेतना जगाई जा सके। कई वर्षों तक इसमें एक भी राजनैतिक विषयक लेख नहीं लिखा गया। अंग्रेजों द्वारा गांधी को जेल से मात्र तीन लेख प्रति सप्ताह लिखने की अनुमति थी। आरम्भ में इसकी दस हजार प्रतियां ही छपती थी। गांधी इसके लिए अंग्रेजी, हिन्दी व गुजराती में ही लेख लिखते थे। कालान्तर में यह समाचार पत्र अत्यधिक लोकप्रिय हो गया तथा अन्य भारतीय भाषाओं में भी इसका प्रकाशन प्रारम्भ हो गया।

गांधी द्वारा सम्पादित व प्रकाशित समाचार पत्रः जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में ''इंडियन ओपिनियन'' के प्रकाशन के बाद गांधी ने अहमदाबाद से 7 सितम्बर 1918 को ''नवजीवन'' नामक समाचार पत्र प्रारम्भ किया। यह समाचार पत्र हिन्दी और गुजराती में प्रारम्भ किया गया। तदुपरांत 7 अक्टूबर 1919 को ''यंग इंडिया'' अंग्रेजी में समाचार पत्र प्रारम्भ किया गया।

गांधीजी की मानवाधिकारों व अहिंसा की प्रतिबद्धता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा काण्ड के बाद देखने को मिलता है–

इस घटना की पृष्ठभूमि रौलट एक्ट जिसे सरकारी तौर पर अंग्रेजों ने ''एनार्किकल एण्ड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919 के नाम से इंपीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल ने दिल्ली में 18 मार्च 1919 को पारित किया था, इसे काला कानून या रौलट एक्ट भी कहा गया क्योंकि इसके अतंर्गत अंग्रेज सरकार किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे अथवा न्यायिक समीक्षा के अनिश्चित काल के लिये जेल में ठूंस सकती थी, इस

एक्ट को सिडनी रौलट की अध्यक्षता में बनी रौलट कमेटी ने अनुशंसित किया था। इसके विरोध में सारे तत्कालीन नेताओं ने आवाज उठाई 13 अप्रैल 1919, बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला वाला बाग में सैकड़ों पंजाब के निवासी शांतिपूर्वक सभा करके विरोध प्रकट कर रहे थे तभी जनरल डायर ने विहत्थे नागरिकों को गोलियों से भून डालने का आदेश देकर सैकड़ों निर्दोष महिलाओं, बच्चों व नागरिकों को मार डाला जिसके फलस्वरूप क्षुब्ध गांधी ने रौलट एक्ट व जलियांवाला बाग जैसे कांड के विरोध में असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। जिसके फलस्वरूप पूरे देश में असहयोग की भावना आग की तरह फैल गई। अनेक स्थानों पर प्रदर्शन व आंदोलन की रैलियां और सभाएं आयोजित की गई। गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र में एक सेवानिवृत सैनिक के नेतृत्व में लोग 2 फरवरी 1922 को विरोध प्रकट कर रहे थे तब वहां के पुलिसकर्मियों ने लोगों को बुरी तरह पीटा तथा उनके नेताओं को थाने में बंद कर दिया। इससे आक्रोशित होकर चार से पांच हजार लोग थाने के सामने 4 फरवरी 1922 को प्रदर्शन करने पहुंचे तो थाना पुलिस अधिकारी ने उन आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाईं जिससे तीन नागरिक घटनास्थल पर ही शहीद हो गए व अनेक घायल हो गए। इस कार्यवाही से भीड़ का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया और उन्होंने उस पुलिस थाने को फूंक डाला जिससे कि थाने के भीतर तैनात 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। यह खबर सुनकर अंग्रेज सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया तथा हजारों क्रांतिकारियों को जेलों में ठूस दिया। जब यह सूचना महात्मा गांधी को मिली तो उन्होंने इस घटना के प्रायश्चित स्वरूप पांच दिन का अनशन किया तथा कांग्रेस पार्टी ने उनके आह्वान पर असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया। गांधी जी का तर्क था कि देशवासी अभी अहिंसा के सिद्धांतों का अनुसरण करके आंदोलन हेतु तैयार नहीं हुए हैं। गांधीजी के आंदोलन को वापस लेने से नेहरू जैसे अनेक नेता क्षुब्ध भी हुए तथा अनेक नेताओं ने गांधी की आलोचना भी की।

गांधी जी ने बिना विज्ञापन लिए समाचार पत्र प्रकाशित किए। काम के अत्यधिक बोझ के कारण गांधीजी पूरे भारत में यात्राएं करते रहते थे परन्तु वे अपने पत्रकारिता धर्म को अनवरत रूप से निबाहते रहते, यहां तक कि वे रेलगाड़ी में, प्रवास के दौरान भी लेख लिखते रहते। जेल से भी अपने लेखों के माध्यम से जन चेतना से जुड़े रहते थे। स्वाधीनता संग्राम, समाज सुधर, जनजागरण में वे पत्रकारिता के माध्यम से जुटे रहते थे। उनके लेखों में अस्पृश्यता विरोधी, संप्रदाय विरोधी, स्त्री शिक्षा, बुनियादी तालीम, स्वच्छता, खादी ग्रामोद्योग, प्राकृतिक चिकित्सा, स्वास्थ्य, आहार, मद्यपान निषेध, अहिंसा आदि पर गांधी के लेख प्रकाशित होते थे। ''यंग इंडिया'' में गांधी द्वारा प्रकाशित लेख के आधार पर अंग्रेज सरकार ने 1922 में सेक्शन 124ए के अन्तर्गत देशद्रोह का मुकदमा चला। जब जज ने कहा कि लोकमान्य तिलक को भी इसी प्रकार का मुकदमा झेलना पड़ा था जिस कारण गांधी को छः वर्षों की सजा हुई तब गांधी ने जज से कहा कि ये उनके लिए अत्यधिक गौरव व सम्मान की बात है कि गांधी की तुलना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ की जा रही है।

निष्कर्ष

गांधी के मानवाधिकारों के हनन के विरूद्ध सत्याग्रह, अहिंसा व नैतिकता आधारित आंदोलन ने अनेक अनुयायी बनाए उनमें से अनेक ने प्रजातीय भेदभाव, औपनिवेशिक दासता, प्रजातीय–हिंसा और अन्य मानवाधिकार विरोधी शक्तियों व कुप्रथाओं के विरूद्ध संघर्ष किया।

इनमें सर्वप्रथम, दक्षिण अफ्रीका के प्रजातीय भेदभाव व श्वेत अत्याचारों के विरूद्ध प्रसिद्ध नेता नेल्सन मंडेला, डेसमंड टूटू ने अफ्रीका में गांधी द्वारा 1893 में पीटरमारित्सबर्ग में झेले गए नस्ली भेदभाव व अपमान के फलस्वरूप जनित सत्याग्रह व मानवाधिकारों के हनन के विरूद्ध अहिंसक आंदोलन से प्रेरित होकर दक्षिण अफ्रीका में असहयोग व नागरिक अवज्ञा आंदोलन छेड़ा तथा प्रजातीय भेदभाव वाली अत्याचारी शासन व्यवस्था को समाप्त किया। यह गांधी की नैतिकतापूर्ण अहिंसात्मक नीति की प्रेरणा ही थी कि 27 वर्षों तक जेल काटने व अनगिनत अत्याचार सहने के बावजूद दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने सत्ता में आने के बाद श्वेत समुदाय के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व हेतु व्यवस्था बनाई जहां लोकतांत्रिक शक्ति अश्वेतों के पास होने के बावजूद भी श्वेत समुदाय के विरूद्ध बदले की भावना से प्रेरित होकर कार्यवाही नहीं की गई। मंडेला और टूटू दोनों को शांति का नोबल पुरस्कार दिय गया। नेल्सन मंडेला की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस गांधीवादी सिद्धान्तों पर ही आधारित है। इन दोनों के अतिरिक्त जूलियस न्यूरेरे, मार्टिन लूथर किंग, कोरिया के चो मान सिक, खान अब्दुल गफ्फार खान को तो सीमांत गांधी भी कहा जाता है। कोरिया में जापानी साम्राज्यवाद के विरूद्ध चो मान सिक ने अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया। जब गांधी की हत्या हुई तब मार्टिन लूथर किंग मात्र 19 वर्ष युवा थे परन्तु उन्हें नागरिक अधिकारों के सक्रिय कार्यकर्त्ता बेनार्ड रस्टिन ने गांधीवादी विचारों से अवगत कराया। वे एक धर्मनिष्ठ ईसाई थे तथा उन्होंने ईसाई धर्म की शिक्षा व गांधी की विचारधारा में साम्यता पाई। मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि विश्वभर के उत्पीड़न, सताये हुए लोगों के लिये अहिंसात्मक गांधीवादी तरीके सबसे शक्तिशाली हथियार हैं जिससे वे स्वतंत्रता का संघर्ष कर सकते हैं। उन्हें दिसम्बर 1964 में शांति का नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ। उस पुरस्कार को प्राप्त करते समय मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि अहिंसक सामाजिक परिवर्तन के गांधीवादी तरीकों से प्रेरित होकर मोंटगुमरी बहिष्कार किया गया। प्रजातीय अन्याय के विरूद्ध गांधी ने अंग्रेजी शासन की सशक्त सत्ता को पहली चुनौती देकर राजनैतिक शोषण व आर्थिक व सामाजिक दमन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। निस्संदेह दक्षिण अफ्रीका में प्रजातीय भेदभाव के रूप में मानवाधिकारों के दमन के विरूद्ध गांधी के अहिंसक प्रयास नेल्सन मंडेला, डेसमंड टूटू व अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग के माध्यम से रंग लाते रहे और इसकी सबसे सकारात्मक परिणिति के रूप अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में बराक ओबामा ने सत्ता

संभाली। यह गांधी के मानवाधिकारों के दमन के विरूद्ध एक शताब्दी से अधिक प्रभावशाली विचारधारा की संदर्भ संगतता और प्रामाणिकता को सिद्ध करता है।

आज विश्व आतंकवाद, हिंसा व सांप्रदायिक घृणा व युद्ध की विभीषिका से जैसे जूझ रहा है इसमें निस्संदेह गांधीवादी विचारधारा सर्वाधिक संदर्भसंगत व कालजयी है। डॉ. राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि यदि विश्व व मानवता को अपना अस्तित्व बचाना है तो गांधीवादी विचारधारा ही एकमात्र मार्ग है जिससे मानवजाति में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व स्थापित हो सके।

ये गांधी का ही अटूट विश्वास था कि प्रत्येक मानव मात्र को उसकी यथोति अस्मिता, आत्म सम्मान व शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का बिना किसी, भेदभाव, उत्पीड़न, प्रताड़ना या शोषण के जीने का अधिकार था जिसे वे बार–बार पत्रकारिता के माध्यम से अपने विभिन्न समाचार पत्रों के लेखों में अभिव्यक्त करते रहते थे। इस सबका दूरगामी परिणाम स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश के संविधान निर्माण के समय मौलिक अधिकारों के रूप में भारत की जनता को मानवाधिकारों का संरक्षण व संवर्धन मिला। साथ ही साथ ऐतिहासिक रूप से दलित, वंचित, उत्पीड़ित निम्न जातियों, जन जातियों को सकारात्मक समर्थनात्मक आरक्षण की व्यवस्था से सदियों के अन्याय के कारण निम्न स्तर से ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हुआ। अस्पृश्यता निरोधी तथा क्रूरता विरोधी अधिनियमों के माध्यम से मानवाधिकारों का संरक्षण संभव हुआ। आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग इन मानवाधिकारों के मुखर व यथार्थवादी अनुपालना के लिये सक्रिय रूप से कार्यरत हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *चंदन डी.एस. देवानेसन, मेकिंग ऑफ द महात्मा, मद्रास, 1969, पृ.सं.229–245*
2. *गांधी, द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, नई दिल्ली, 1958–1984, वोल्यूम–1, पृ.सं.61*
3. *ग्रीनॉफ, पॉल आर. (1983) पोलिटिकल मोबिलाइजेशन एंड द अंडरग्राउंड लिटरेचर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, 1942–44, मॉडर्न एशियन स्टडीज 17(3):353–86*
4. *शेखर, बंधोपाध्याय (2004) फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशनः ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, नई दिल्ली, ओरियंट ब्लैक स्वान प्रा.लि. पृ 293*
5. *पारीख, भीखू (1997) गांधीः ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, न्यूयॉर्क : ऑक्सफोर्ड प्रेस, पृसं 68*
6. *चक्रवर्ती, विद्युत (2006) सोशियल एंड पॉलिटिकल थॉट ऑफ महात्मा गांधी, न्यूयॉर्क : राउटलेज, पृ.सं. 59*
7. *इबिड, पृ.सं. 59*
8. *इबिड, पृ.सं. 375*
9. *प्रसाद, राजेन्द्र (1949), सत्याग्रह इन चम्पारण, अहमदाबादः नवजीवन पब्लिशिंग हाऊस, पृ.सं. 195*
10. *गांधी (1958–1984) द कलैक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, नई दिल्ली, वोल्यूम 23, पृ.सं.120*
11. *पाठक, वाई.एन., ''व्हाई इज गांधी रेलेवेन्ट इवन टुडे, वर्ल्ड फोकस, 2010, पृ.सं. 231*
12. *वरूण नायक, मुकेश साहनी,''ग्लोबल एजेण्डा फॉर ह्यमन राईट्स'', क्रेस्सेन्ट 3. पब्लिशिंग कापोरेशन, दरियागंज, नई दिल्ली, 2017*
13. *आर. एन. प्रसाद, ''ह्यूमन राईट्स इन इण्डिया'', कनिष्का पब्लिशर्स डिस्टिब्यूटर्स, नई दिल्ली, 2018*
14. *डॉ. सुमन कुल्हरी, ''महिला एवं मानवाधिकार (संवैधानिक स्वरूप, अधिकार एवं दायित्व)'', रितु पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2019*